रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1975/भाद्र 7, 1897

No. 334] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 1975/BHADRA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th August 1975

S.O. 458(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paper (Conservation and Regulation of Use) Order, 1974, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Conservation and Regulation of Use) Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 2 of the Paper (Conservation and Regulation of Use) Order, 1974 (hereinafter referred to as the said Order),—

(i) sub-clauses (b), (c), (e) and (g) shall be omitted;

(ii) in sub-clause (i), for the words "and speciality paper" the words "speciality paper, art paper, imitation art paper and chromo paper" shall be substituted.

3. In clause 3 of the said Order—

(a) for sub-clauses (ii) and (iii) the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

"(ii) a diary, if the total surface of the pages meant for making a daily record of events exceeds 63,000 square centimetres;

(iii) a calendar on any paper if the surface area of one side of a sheet, or where there are more than one sheet, the aggregate surface area of one side of such sheets, exceeds 8700 square centimetres;";

(b) sub-clause (iv) shall be omitted.

4. Clause 5 of the said Order shall be omitted.

[No. 14(4)/75-PAPER.]

B. N. JAYASIMHA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1975

का० आ० 458(ई).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (संरक्षण तथा प्रयोग का विनियमन) आदेश, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश के नाम कागज (संरक्षण तथा प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा।

2. कागज (संरक्षण तथा प्रयोग का विनियमन) आदेश, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है'), के खण्ड 2 में,—

(i) उपखण्ड (ख), (ग), (ङ०) और (छ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखण्ड (झ) में, "तथा विशिष्ट कागज", शब्दों के स्थान पर, "विशिष्ट कागज, आर्ट कागज, अनुकृति आर्ट कागज और क्रोमोकागज" शब्द रखे जाएँगे।

3. उक्त आदेश के खण्ड 3 में, —

(क) उपखण्ड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखे जाएँगे, अर्थात् :—

"(2) कोई डायरी, यदि घटनाओं का दैनिक अभिलेख लिखने के लिए अभिप्रेत पृष्ठों का कुल विस्तार 63,000 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक हो ;

(3) किसी भी कागज पर कोई कैलेण्डर, यदि एक ताव का या जहां एक से अधिक ताव हों, वहां ऐसे तावों के एक ओर का कुल विस्तार 8700 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक हो ;";

(ख) उपखण्ड (iv) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त आदेश के खण्ड (5) का लोप किया जाएगा।

[सं० 14(4)/75-पेपर]

ब० एन० जयसिंह, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975